<u>न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी :– कुसुम सुत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी याचिका संख्या :– 15/2021, 18/2020

.....

1. दशरथ सिंह पुत्र हनुमान सिंह, निवासी घाटवा तहसील कुचामन सिटी जिला : डीडवाना–कुचामन।
2. विशाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह, निवासी घाटवा तहसील कुचामन सिटी जिला : डीडवाना–कुचामन।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)।

–गैरनिगरानीकर्तागण

–<u>:: उपस्थित ::</u>–

1.	निगरानीकर्तागण की ओर से	अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार जोशी।
2.	गैर निगरानीकर्ता सं0–1 की ओर	अपर लोक अभियोजक, श्री मनीष शर्मा।

<u>फौजदारी निगरानी विरूद्ध विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2020 जो कि मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 117/2018 सरकार बनाम मूलसिंह वगै. में पारित किया गया।</u>

<u>दिनांक :– 09/07/2026</u>

–:: <u>आदेश</u> ::–

1. निगरानीकार दशरथ सिंह वगैरह ने विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजन के फौजदारी निगरानी अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुचामन द्वारा प्रकरण संख्या 117/18 सरकार बनाम मूलसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध पेश की। हस्तगत निगरानी में निगरानीकार का मुख्यतः यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 सीआरपीसी को स्वीकार कर निगरानीकार को बतौर मुल्जिम तलब किये जाने का आदेश पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पी.ड. 01, पी.ड. 02, पी.ड. 04, पी.ड. 07, पी.ड. 08 के बयानों को आधार बनाकर निगरानीकार को तलब किया है। जबकि उक्त गवाहों के बयानों में निगरानीकारन के घटना में शामिल होने के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये है। अंत में निवेदन किया कि अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाकर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जावे।

2. बहस निगरानी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अभियुक्त मूलसिंह व किशोर सिंह उर्फ नंदसिंह के विरूद्ध दिनांक 09.02.2018 को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323,447, 325/34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया था। आरोप प्रस्तुति के दिन ही अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता पेश कर प्रकरण में विशाल सिंह व दशरथ सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराधों में प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि विचारण के दौरान न्यायालय में साक्ष्य से यदि इन व्यक्तियों का अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है तो अभियोजन की ओर से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। परिवादी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दशरथ सिंह व विशाल सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्षीगण पी.ड. 01, पी.ड. 02, पी.ड. 04, पी.ड. 07व पी.ड. 08 के कथनों के आधार पर दशरथ सिंह व विशाल सिंह के द्वारा आहत के साथ मारपीट कर आरोपित अपराध कारित करना प्रथम दृष्टयाः प्रकट माना है, जिस आदेश को हस्तगत निगरानी में आक्षेपित किया गया है।

3. निगरानी में वर्णित आधारों पर पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण के आहत व प्रार्थी औकार सिंह ने घटना की दिनांक 28.12.2017 को संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश कर उसमें मूलसिंह एवं किशोर सिंह उर्फ नन्द सिंह व निगरानीकार विशालसिंह पुत्र हनुमानसिंह व दशरथ सिंह पुत्र हनुमानसिंह को नामजद किया और उनके द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने के स्पष्ट तथ्य वर्णित किये। इस क्रम में प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह आहत औंकारसिंह ने धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में लिखित रिपोर्ट में वर्णित कथनों के अनुरूप ही उसके साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों में मूलसिंह, किशोर सिंह के अतिरिक्त विशाल

सिंह व दशरथ सिंह का शामिल होना बताया। न्यायालय में लेखबद्ध सशपथ कथनों में भी पी.ड. 01 औंकारसिंह ने मूलसिंह व किशोर सिंह के अतिरिक्त दशरथ सिंह व विशाल सिंह का उनके खेत में घुसकर विशाल द्वारा कुल्हाड़ी से व दशरथ सिंह द्वारा लकड़ी से उस पर हमला करने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कुल्हाड़ी की सीध से उसके हाथ पर चोट आना व हाथ कट जाना बताया है और स्वीकार किया कि उनके व अभियुक्तगण के मध्य जमीन से संबंधित विवाद चल रहा है। प्रार्थी/ आहत के पिता पी.ड. 2 भंवरसिंह ने भी उसके पुत्र के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों में अन्य के अतिरिक्त निगरानीकार विशालसिंह व दशरथ सिंह का होना भी बताया। इस क्रम में पी0ड0 04 ने भी किशोर सिंह, दशरथसिंह , विशाल सिंह व मूल सिंह के द्वारा औंकार सिंह को घेरे हुए देखना व सभी के हाथों में लाठियां होने का कथन करता है। गवाह पी0ड0 05 पूराराम भी मूलसिंह के तीनों पुत्रों के द्वारा भंवरसिंह के पुत्र को पकडे हुए को रास्ते से जाते हुए देखना कहता है। गवाह पी0ड0 07 भी अपने पड़ौसी भंवर सिंह के खेत में भंवर सिंह के पुत्र औंकार सिंह के साथ अन्य के अतिरिक्त दशरथसिंह व विशाल द्वारा मारपीट किये जाने का कथन करता है। यद्यपि गवाह कहता है कि किसने किसके साथ मारपीट की उसने नहीं देखा परंतु घटनास्थल खेत पर यह गवाह निगरानीकार की उपस्थिति के संबंध में साक्ष्य देता है। पी.ड. 08 हनुमानसिंह ने भी मूलसिंह, विशालसिंह, दशरथ सिंह व किशोर के द्वारा औंकार सिंह को पटककर रखना व बाड़े के विवाद के कारण उक्त मारपीट होना बताता है। चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी.ड. 09 डॉ सदानंद सिंह ने आहत औंकार सिंह के शरीर पर आई चोटों के संबंध में मेडिकल मुआयना कर आहत के शरीर पर गंभीर व साधारण प्रकृति की चोटें आई होने की साक्ष्य देता है।

4. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रकरण में निगरानीकार दशरथसिंह व विशाल का भी घटना में संलिप्त होना प्रथम दृष्टयाः प्रकट होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री की विधि के अनुसार सही विवेचना दशरथसिंह व विशाल द्वारा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 447, 325/34 भारतीय दंड संहिता में आगे कार्यवाही के

पर्याप्त आधार पाये जाने के आधार पर परिवादी के द्वारा जरिये अभियोजन अधिकारी के पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करने में कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि कारित करना प्रकट नहीं होने से निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

5. परिणामतः निगरानीकर्ता दशरथ सिंह पुत्र हनुमान सिंह, एवं विशाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह, निवासीगण घाटवा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2020 जो कि प्रकरण संख्या 117/2018 सरकार बनाम मूलसिंह वगै0 में पारित किया गया की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

6. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0